

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:-कार्यालय-आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(39)शिक्षा-2/2023-09722 जयपुर, दिनांक 13.09.2023 द्वारा प्रोबेशनरी ट्रेनी श्री विनय कुमार अवस्थी, व्याख्याता-भूगोल, राउमावि. बरडोद, सुवाणा, भीलवाड़ा द्वारा का परिवीक्षाकाल अवधि में 30 दिवस से अतिरिक्त लिये गये 12 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के क्रम में राजस्थान सेवा नियम 96 के तहत असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	09.09.2021 से 20.09.2021	12 दिन
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	12 दिवस

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.02.2022 द्वारा 30 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019, 06.01.2020 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 25.10.2019 के प्रावधानानुसार कार्मिक के परिवीक्षाकाल में (42 दिवस) की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-5/परिवीक्षाकाल अवकाश/23-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 26/09/2023

सत्यमेव जयते

सहायक निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar
Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.09.26 14:38:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4788036

